झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1244 वर्ष 2017

1. उमेश कुमार

2. सुजा चंद गोरील उर्फ एस0सी0 गोरिल

3. भुपेंद्र कुमार .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य अपने प्रधान सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची के माध्यम से।

2. निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची।

3. कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

4. कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूम।

.... प्रतिवादीगण

के साथ

डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 1245 वर्ष 2017

1. कैलाश गोरेल

2. एन0 शंकर राव

3. मो0 फारूक उमा .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य अपने प्रधान सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची के माध्यम से।

2. निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची।

3. कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

4. कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूम।

.... प्रतिवादीगण

के साथ

डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 1246 वर्ष 2017

1. नमिता बरात

2. शांति चौधरी

3. श्यामा प्रसाद शर्मा

4. ई0 फ्रांसिस .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य अपने प्रधान सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची के माध्यम से।

2. निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची।

3. कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

4. कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूम।

.... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्तागण के लिए :– श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री शाहिद खान, एससी (खान), श्री सुरज प्रकाश, एससी (खान) का एसी, श्री रवि केरकेट्टा, एससी (एल एंड सी) का एसी, डॉ0 ए0के0 सिंह, अधिवक्ता

06/01.10.2018 याचियों के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. इन सभी रिट याचिकाओं में समान मुद्दे शामिल हैं, इसलिए, उन्हें एक साथ सुना जाता है और इस सामान्य आदेश के द्वारा निपटाया जाता है।

3. याचिकाकर्तागण एक आम प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि प्रत्यर्थियों को क्रमशः 01.01.1996 और 01.01.2006 से पांचवें और छठे संशोधित वेतनमान में याचियों का वेतन निर्धारित करने और उन्हें बकाया वेतन जारी करने का निर्देश दिया जाए।

4. मामले के तथ्य संक्षेप में यह है कि याचीगण वर्ष 1978–1984 के बीच रांची विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या 409/1991 एवं अवमानना वाद संख्या 280/1993, राँची विश्वविद्यालय ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 26.07.1994 द्वारा याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि दिनांक 10.05.1986 का कट–ऑफ तिथि को राँची विश्वविद्यालय के लिए दिनांक 26.04.1989 के द्वारा प्रतिस्थापित माना जाना चाहिए और इस प्रकार, ऐसा सभी व्यक्ति जो दिनांक 26.04.1989 को या उससे

पहले पूरी तरह से अस्थायी आधार पर राँची विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे, काम करना विश्वविद्यालय में अगले आदेश तक जारी रखेंगे। इसके बाद 26.07.1994 को एक और कार्यालय आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा राँची विश्वविद्यालय ने सूचित किया था कि 10.05.1986 की कट–ऑफ तिथि को राँची विश्वविद्यालय के लिए 26.04.1986 द्वारा प्रतिस्थापित माना जाना चाहिए है और इस प्रकार 26.04.1989 के बाद राँची विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अस्वीकृत पदों या दैनिक वेतन या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाता है। याचियों का आगे का मामला यह है कि दिनांक 18.12.2008 के कार्यालय आदेश द्वारा राँची विश्वविद्यालय ने दिसम्बर, 2008 से पांचवें पी0आर0सी0 की सिफारिश को कार्यान्वित किया। इसके बाद, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा ने सभी संघटक कॉलेजों के प्राचार्यों के पक्ष में दिनांक 22.06.2010 का पत्र जारी किया था, जिसके द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को 5वीं पी0आर0सी0 का लाभ देने का निर्देश जारी किया गया था। याचियों का यह विशिष्ट मामला है कि उक्त पत्र के बावजूद, वर्ग–III के 32 कर्मचारियों में से, केवल 12 कर्मचारियों के लिए वेतन–निर्धारण किया गया था और शेष 20 कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। इसी प्रकार, चतुर्थ श्रेणी के 32 कर्मचारियों में से केवल 4 कर्मचारियों को ही 5वीं पी0आर0सी0 का लाभ दिया गया और आज तक याचियों को 5वीं पी0आर0सी0 और 6ठी पी0आर0सी0 का लाभ नहीं दिया गया है।

प्रत्यर्थियों की पूर्वोक्त कार्यवाहियों से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ताओं ने इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

5. याचियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी पांचवें और छठे वेतन–संशोधन के तहत याचियों के वेतनमानों को संशोधित करने और वेतन के बकाये का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और याचियों को कथित लाभ न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के खिलाफ है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि इसी तरह का मुद्दा डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 1874/2017 में इस माननीय न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया जिसमें इस माननीय न्यायालय ने, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, 23.08.2018 को कथित रिट याचिका का निपटान किया।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि कोई प्रति–शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है, वह याचियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विवाद करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता एक नया अभ्यावेदन दायर करते हैं, तो प्रतिवादी–राज्य उस पर विचार करेगा और कानून के अनुसार तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की उचित प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मुद्दे का निर्णय इस न्यायालय द्वारा पहले ही रिट याचिका (एस0) संख्या 1874/2017 में किया जा चुका है। इन रिट याचिकाओं को याचियों के अभ्यावेदन के रूप में माना जाए और आगे, याचियों को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, वर्तमान रिट याचिकाओं में संलग्न किए गए दस्तावेजों के अलावा, किसी भी अन्य दस्तावेज को संलग्न करने के लिए स्वतंत्रता है और वर्तमान रिट याचिका की प्रति उसके साथ प्राप्त करने के बाद, प्रत्यर्थी सं0 2

को उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है और उसके बाद, कानून के अनुसार, अधिमानतः याची के अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता लाभों के हकदार पाए जाते हैं, जैसा कि उनके द्वारा प्रार्थना की गई है, तो प्रत्यर्थी राज्य विश्वविद्यालय को अपेक्षित अनुदान जारी करेगा और उनकी प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय उसके बाद के दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए प्रयास करेगा।

8. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, ये रिट याचिकाएं निपटाया जाता है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)]